



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खड़े वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही 'जहाँ है जैसा है' के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
 - (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु ₹0 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5 % या ₹0 10,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
 - (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्ब 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लोट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
 - (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लोट की विक्रय सूची में लोट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
5. (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
 - (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लोट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
 - (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लोट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
 - (IV) लोट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमत्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लोट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NFET/E-Payment द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम ₹0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।

(1)

- 11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जाएगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लाट में कार्य आरम्भ करना होगा। कार्य आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लाट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को ₹100/ के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्त भी अनुबन्ध का भाग होगी।
13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लाट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लाट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिह्नित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिह्नित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लाट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लाट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और क्रेता द्वारा लाट हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिह्नित समस्त छे वृक्षों एवं कटे हुए प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।
15. लाट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लार्पिंग आदि करके इस तरह से करना होगा ताकि लाट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनों आदि को क्षति न हो। लाट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लाट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए लाट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लाट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी खन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लाट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।
18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लाट (जाब) के सभी छे चिह्नित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिह्न लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुए प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमत्य हो सकता है, जिसके लिए क्रेता को लाट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लाट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जाएगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
19. लाट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जाएगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।
21. लाट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वावस/समायोजित की जाएगी।
22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित "क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशके

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

उत्तराखण्ड वन विकास निगम टनकपुर						नीताम दिनांक- 13.05.2025
कार्यालय- डिपो अधिकारी, खटीमा डिपो विक्रय प्रभाग, टनकपुर						नीताम स्थल - टनकपुर द्वितीय
लो10नि0वि0, पीलीभीत उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना मझौला- बिरहनी मार्ग का 04 लाईन में उच्चिकरण हेतु मार्ग की परिसि में खड़े वृक्षों की विक्रय सूची						
क्र0सं0	राजि-	कक्ष संख्या/स्थान	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	वैशेष आयतन	सी0सी0फॉ0
1	3	4	5	6	7	8
1	खटीमा	उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना मझौला- बिरहनी मार्ग का 04 लाईन में उच्चिकरण हेतु मार्ग की परिसि में खड़े वृक्षों	शीशम हटा	81	41.115	14.176
2			शीशम सूखा	5		1.651
3			सेमल हटा	30	48.836	18.185
4			जामुन हटा	19	9.690	3.230
5			सागौन हटा	18	5.716	2.544
6			अर्जुन हटा	3	5.748	1.916
7			आम हटा	11	5.792	1.931
8			पीपल हटा	6	15.050	5.016
9			कोकट हटा	41	12.324	4.108
10			पाखड हटा	3	6.966	2.322
11			शहतुत हटा	1	0.382	0.127
12			नीम हटा	2	1.190	0.397
कुल योग				220	152.809	55.603


डिपो अधिकारी
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम
 खटीमा (ऊ०सि०नगर)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर							नीलाम तिथि- 13.05.2025	
कार्यालय डिपो अधिकारी, खटीमा उत्तराखण्ड वन विकास निगम, टनकपुर (चम्पावत)								
लौगिंग प्रभाग, टनकपुर से प्राप्त खतरनाक खड़े वृक्षों की लॉटो की विक्रय सूची							नीलाम स्थल-टनकपुर द्वितीय	
क्र०स०	लाट संख्या	राजि	कक्ष संख्या/प्लॉट	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	ठोस आयतन	सी०सी०एफ०	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	14/24-25	बूम	कलसनदेव 01अ 5अ	सैन हरा	1	5.834	1.945	
				साल हरा	3	5.396	3.597	
कुल योग					4	11.23	5.542	
2	15/24-25	बूम	पूर्णागिरी बीट	बाकुली हरा	1	0.738	0.246	
				सैन हरा	1	1.445	0.482	
				साल हरा	4	7.732	4.711	
कुल योग					6	9.915	5.439	
3	18/24-25	बूम	पूर्णागिरी बीट-3	साल हरा	3	4.603	1.534	
4	194/24-25	खटीमा	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा मुडेली खटीमा	शीशम सूखा	1	1.060	0.707	
				जामुन सूखा	1	2.570	0.857	
कुल योग					2	3.630	1.564	
5	195/24-25	खटीमा	श्री राजीव कुमार सिंह निकट मझौला खटीमा	यूके० हरा	6	9.180	9.180	
6	196/24-25	खटीमा	श्रीमती पुष्पा देवी गुरंग निकट चारुबेटा	हल्दी हरा	1	4.360	1.453	
7	199/24-25	खटीमा	श्री कपिल अग्रवाल ग्राम मझौला खटीमा	यूके० हरा	3	6.430	6.430	
8	235/24-25	खटीमा	टनकपुर बीट छिनी-2	बहेडा हरा	1	5.834	1.945	
9	245/24-25	खटीमा	श्री ललित शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा ग्राम सिसैया	सेमल हरा	2	10.416	6.944	
10	246/24-25	खटीमा	टनकपुर पॉवर स्टेशन आवासीय कलौनी	यूके० हरा	25	73.918	73.918	
				यूके० सूखा	1	1.516	1.516	
कुल योग					26	75.434	75.434	
11	248/24-25	खटीमा	श्री जसविन्दर सिंह पुत्र श्री सरदारा सिंह, हल्दी खटीमा	सेमल सूखा	1	5.208	1.736	
12	249/24-25	खटीमा	श्री जगत सिंह कन्याल पुत्र श्री गोपाल सिंह कन्याल, तिगरी चौराहा	जामुन हरा	3	7.433	2.478	
				शीशम हरा	1	1.770	1.180	
				छितवम हरा खड़ा	1	2.322	0.774	
कुल योग					5	11.525	4.432	
13	261/24-25	खटीमा	श्री कुंवर सिंह तहसील खटीमा, श्याम मार्ट चकरपुर	सेमल सूखा	1	0.510	0.170	

डिपो अधिकारी, खटीमा
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खटीमा (ऊ०सि०नगर)